राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक- 202408240300024 अ—62 वर्ष 2023—24

1	2	3
14-05-2025	प्रकरण तहसीलदार गुरूर से प्राप्त। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नंबर 21 रा०नि०मं० गुरूर तहसील गुरूर द्वारा ग्राम गुरूर प0ह0नं0 21 रा0नि०मं० गुरूर तहसील गुरूर स्थित भूमि ख0नं0 91/5 रकबा 1.00 हे0 अभिलेख में ना०बा० आकाश कुमार पिता पालूराम पालक मां पालक प्रेमलता पति पालूराम, प्रेमलता पति पालूराम, जगदीश कुमार उर्फ जगदीश्वर कुमार पिता दुलरवा राम जाति तेली के नाम पर दर्ज है। ख0नं0 91/ 5 का टु0 रकबा 0.24 हे० को श्रीमती रूपाली देवांगन पति केशवराम देवांगन जाति कोष्टा निवासी कन्हारपुरी के पास विक्रय किये जाने के कारणकेता के क्षरा अवैध कौहा वृक्ष 04 नग, जिसका गोलाई 1—1/ 2 मी० मौका पर मेंड़ पर गोलाई का नाप किया गया। क्रेता के द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर (मुरूम) से रास्ता बनाया जा रहा है। मौका पर कौहा वृक्ष की तना को बाहर ले गया है तथा कुछ शाखा खेत पर पाया जाना प्रतिवेंदित करने पर प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ किया गया । 3/— प्रकरण दर्ज कर अनावेदक रूपाली देवागन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया। अनावेदक रूपाली देवांगन अपने जवाब में लेख की है कि अनावेदिका के द्वारा जमीन को क्रय किया है, पेड़ को विक्रेता के द्वारा कटाई कराकर अपने घर ले गया है। उसके द्वारा मरूम बिछाया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा द्वारा हटा लिया गया है।गया है । मैं प्लाटिंग नहीं कराया गया है, मेरे उपर अवैध पेड़ का प्रकरण एवं अवैध प्लाटिंग का प्रकरण लगाया गया है उसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है । 4/— प्रकरण में अनावेदिका के जवाब के आधार पर विक्रेता प्रेमलता साहू को नोटिस जारी कर आहुत किया गया। लेकिन अनावेदिका की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, चुंकि समयावधि तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया	

14/5/2025

Scanned with OKEN Scanner

गया।

अतएव प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, अनावेदक जवाब का अवलोकन किया गया। पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम गुरूर प0ह0नं0 21 तहसील गुरूर स्थित भूमि ख0न0 91/5 का टु0 रकबा 0.24 हे० भूमि को श्रीमती रूपाली देवांगन पति केशव राम देवांगन ग्राम कन्हारपुरी के द्वारा क्रय की है एवं केता के द्वारा अवैध रूप से कौहा वृक्ष 04 नग को कटाई की है तथा अवैध रूप से प्लाटिंग कर (मुरूम) रास्ता बनाया जा रहा है। इस प्रकार अनावेदिका श्रीमती रूपाली देवांगन पति केशव राम देवांगन साकिन कन्हारपुरी द्वारा अवैध कटाई की है।

बिना अनुमति के 04 नग कौहा वृक्ष को कटाई किये जाने के कारण अनावेदिका श्रीमती रूपाली देवांगन पति केशव राम देवांगन जाति कोष्टा ग्राम कन्हारपुरी तहसील गुरूर जिला बालोद के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने अनुशंसा सहित तहसीलदार गुरूर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में तहसीलदार गुरूर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूमिस्वामी ना०बा० आकाश कुमार पिता पालूराम पालक मां पालक प्रेमलता पति पालूराम, प्रेमलता पति पालूराम, जगदीश कुमार उर्फ जगदीश्वर कुमार पिता दुलरवा राम जाति तेली के नाम पर दर्ज ग्राम गुरूर, प.ह.न. 21, तहसील गुरूर ने भूमि ख०न० 91/5 का टु. रकबा 0.24 हे0 में स्थित 04 नग कौहा वृक्ष को बिना अनुमति के काटा गया है। जिसे अनावेदक श्रीमती रूपाली देवांगन पति केशव राम देवांगन जाति कोष्टा ग्राम कन्हारपुरी के द्वारा ने अपने कथन में स्वीकार किया गया है। बिना अनुमति के अनावेदक द्वारा हरे–भरे वृक्ष अवैध रूप से काटे जाने कारण भू.रा.संहिता 1959 के बने धारा 240 के तहत कुल रू. 2150.00 (अक्षरी– दो हजार एक सौ पचास रूपये) से दण्डित किया जाता है। अनावेदक आरोपित अर्थदण्ड की राशि खजाना दाखिल कर चालान की प्रति इस न्यायालय को पेश करे। बाद प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द. हो।

आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

14/5/2025

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) गुरूर जिला बालोद

Scanned with OKEN Scanner

पृ. क्र./ /अ.वि.अ.(रा.)/2025 गुरूर, दिनांक 14/05/2023

प्रतिलिपि :–

01. तहसीलदार गुरूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. अनावेदक श्री जगदीश कुमार उर्फ जगदीश्वर कुमार पिता दुलरवा राम जाति तेली निवासी गुरूर एवं श्रीमती रूपाली देवांगन पति केशव राम देवांगन जाति कोष्टा ग्राम कन्हारपुरी को सादर सूचनार्थ।

14/5/2025

अनुविभागीय अधिकारी
(रा0)गुरूर जिला बालोद

Scanned with OKEN Scanner